

डिक्री व मुकदमें ईवतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या. प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए

प्रकरण संख्या:- 33/2025

जयमल पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश
  2. काशीराम
  3. रामजस
  4. हरीराम
  5. तहसीलदार (राजस्व) तह. संगरिया।
- पुत्रगण रामप्रताप जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़ (राज.)

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रूबरू हमारे बहाजरी श्री बलवीर सिहाग के पास वादी मिन जामिन मुदई श्री सुभाष परिहार वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मिन जामिन मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसील संगरिया के चक 15 बीजीपी खाता संख्या 224/104 जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 में वादी को 0.759 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 0.126 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

- 1 वादी जयमल के हक व हिस्सा की भूमि :- चक 15 बीजीपी के खाता संख्या 224/104

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
182/148	11	9,10/0.253 है. प्र. 12/0.253 है.

- 2 प्रतिवादी सं. 1 ओमप्रकाश के हक व हिस्सा की भूमि :- चक 15 बीजीपी के खाता संख्या 224/104

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
182/148	11	11/1/0.126 है.

नोट :- यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज......नल......मुक्लिक......निल......वावत......निल......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......अदा करें। वसूल मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 23.6.2025 को

जारी किया गया।

(जय कौशिक)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
मंगरिया